



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (के)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 09 जून, 1999
ज्येष्ठ 19, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-1

संख्या 13/9/98-का-1-99
लखनऊ, 09 जून, 1999

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० पं० नि०-311

संविधान के अनुच्छेद 309 के पारनुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए राउड एवं अपील नियमावली, 1932 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाने हैं।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)
नियमावली, 1999

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 339 में अवधारित उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधिकारियों और कर्मचारियों के सिवाय संविधान के अनुच्छेद 309 के पारनुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन सरकारी सेवकों पर लागू होगी।

(Handwritten signature)

परिभाषा

2—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन पदों पर नियुक्ति करने के लिए शरुक्त प्राधिकारी से है;
- (ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान है;
- (ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;
- (घ) "विभागीय जांच" का तात्पर्य इस नियमावली के नियम 7 के अधीन जांच से है;
- (ङ) "अनुशासनिक प्राधिकारी" का तात्पर्य नियम 6 के अधीन शास्त्रियां अधिरोपित करने के लिए शरुक्त किसी प्राधिकारी से है;
- (च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
- (छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;
- (ज) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में लोक सेवा और पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है;
- (झ) "समूह क, ख, ग और घ के पदों" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या इस संबंध में समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों में इस रूप में उल्लिखित पदों से है;
- (ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य कलापों के सम्बन्ध में लोक सेवाओं और पदों से है।

शास्त्रियां

3—निम्नलिखित शास्त्रियां, उपयुक्त और पर्याप्त कारण होने पर और जैसा आगे उपरोक्त है, सरकारी सेवकों पर अधिरोपित की जा सकेंगी :-

~~(क) निम्नलिखित शास्त्रियां~~

प्रथम शास्त्रियां

- (एक) परनिन्दा,
 - (दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना,
 - (तीन) किसी दक्षतरोध को रोकना,
 - (चार) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हर्ष आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन में वसूल किया जाना,
 - (पांच) समूह "घ" पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में जुर्माना;
- परन्तु ऐसे जुर्माने की धनराशि किसी भी स्थिति में, उस मास के वेतन के, जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

~~(दो) निम्नलिखित शास्त्रियां~~

द्वितीय शास्त्रियां

- (एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि को रोकना;
- (दो) किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना,
- (तीन) सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन से निरहिंत नहीं करता हो,
- (चार) सेवा से पदच्युति जो भविष्य में नियोजन से निरहिंत करता हो।

स्पष्टीकरण:-इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत निम्नलिखित को शास्त्रि की कोटि में नहीं माना जायेगा, अर्थात्:-

- (एक) किसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने पर या सेवा को शास्त्रित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर किसी सरकार सेवक की वेतनवृद्धि का रोकना,
- (दो) दक्षता रोक पर करने के लिए उपयुक्त न पाये जाने के कारण समय वेतनमान में दक्षता रोक पर वेतन का रुक जाना।

Handwritten signatures and initials.

(4) अपील आदेशित आदेश की संतुष्टि के दिनांक से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जायेगी। उक्त अवधि के पर्याप्त की गई कोई अपील साक्षरी तौर पर खारिज कर दी जायेगी।

12—अपील प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् अपील में इस नियमावली के नियम 13 के खण्ड (क) से (घ) में यथाउल्लिखित ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे—

(क) क्या ऐसे तथ्य जिन पर आदेश आधारित या स्थापित किये जा चुके हैं,

(ख) क्या स्थापित किये गये तथ्य कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं, और

(ग) क्या शास्ति अत्यधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है।

13—इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, सरकार स्वप्रेरणा से या संबंधित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर किसी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगा सकेगी जिसका विनिश्चय उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके किया गया हो और

(क) ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुष्टि कर सकेगी, उसका उपान्तर कर सकेगी या उसे उलट सकेगी, या

(ख) निदेश दे सकेगी कि मामले में अग्रतर जांच की जाय, या

(ग) आदेश द्वारा अधिरोपित दण्ड को कम कर सकेगी या उसमें वृद्धि कर सकेगी, या

(घ) मामले में ऐसा अन्य आदेश दे सकेगी जैसा वह उचित समझे।

14—राज्यपाल यदि उसके संज्ञान में यह बात लाई गई हो कि आक्षेप आदेश पारित करते समय कोई ऐसी नई सामग्री या साक्ष्य को पेश न किया जा सका था या वह उपलब्ध नहीं था या विधि की कोई ऐसी तात्त्विक त्रुटि हो गई थी जिसका प्रभाव मामले की प्रकृति को परिवर्तित करता हो, तो वह किसी भी समय स्वप्रेरणा से या सम्बन्धित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर इस नियमावली के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी।

शास्ति अधिरोपित करने या वृद्धि करने के पूर्व अवसर

15—नियम 12, 13 और 14 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक को प्रस्तावित यथास्थिति, अधिरोपित करने या वृद्धि करने के विरुद्ध कारण बताने का मुक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

आयोग से परामर्श

16—इस नियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा किसी आदेश के पारित किये जाने के पूर्व समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के अधीन यथा अपेक्षित आयोग से भी परामर्श किया जायगा।

विखंडन और व्यावृत्ति

17—(1) सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 एतद्वारा विखंडित की जाती है।

(2) ऐसे विखंडन के होते हुए भी,—

(क) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 में उल्लिखित शक्तियों का प्रत्यायोजन और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 के अधीन जारी किया गया कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी प्राधिकारी की नियम 3 में उल्लिखित किन्हीं शक्तियों को अधिरोपित करने की शक्ति या निलम्बन की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, इस नियमावली के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा और तब तक विद्यमान रहेंगे जब तक कि उसे रद्द या विखंडित न कर दिया जाय,

Hy

(दो) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी का ऐसा कारणों से जो उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, वह समाधान हो जाता है कि इस नियमावली में उपबंधित गैर से जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक नहीं है, या

(तीन) जहाँ राज्यपाल का यह समाधान हो जाय कि राज्य की सुरक्षा के हित में इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच किया जाना समीचीन नहीं है।

8—जांच पूरी हो जाने पर जांच अधिकारी जांच के समस्त अभिलेखों के साथ अपनी जांच रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जांच रिपोर्ट में संश्लिष्ट तथ्यों का पर्याप्त अभिलेख, साक्ष्य और प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष का विवरण और उसके कारण अंतर्विष्ट होंगे। जांच अधिकारी शास्ति के बारे में कोई संस्तुति नहीं करेगा।

9—(1) अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी सेवक को सूचना देते हुए ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, मामला पुनर्जांच के लिए उठी या किसी अन्य जांच अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा। तदुपरान्त जांच अधिकारी उस स्तर से जिससे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हो, नियम-7 के उपबन्धों के अनुसार जांच की कार्यवाही करेगा।

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप के निष्कर्ष पर जांच अधिकारी से असहमत हो तो उस अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा।

(3) आरोप निरुद्ध न होने की दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित सरकारी सेवक को आरोपों से विमुक्त कर दिया जायगा और तदनुसार उसे सूचित कर दिया जायगा।

(4) यदि समस्त या किसी आरोपों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी का यह राय हो कि नियम 3 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति आरोपित सरकारी सेवक पर अधिरोपित होनी चाहिए। तो वह उपनियम (2) के अधीन जांच रिपोर्ट और उसके अभिलिखित निष्कर्षों का एक प्रति आरोपित सरकारी सेवक को देगा और उससे उसका अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता हो, एक युक्तियुक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच और आरोपित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, और इस नियमावली के नियम 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस नियमावली के नियम 3 में उल्लिखित एक या अधिक शास्तियाँ अधिरोपित करते हुए एक युक्ति संगत आदेश पारित करेगा और उसे आरोपित सरकारी सेवक को संसूचित करेगा।

10—(1) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि ऐसा प्राक्रिया को अंगीकार करने के लिए समुचित और पर्याप्त कारण हैं, वहाँ वह उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियम 3 में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियाँ अधिरोपित कर सकेगा।

(2) सरकारी सेवक को उसके विरुद्ध अभ्यारोपणों का सार सूचित किया जायगा और उससे एक युक्तियुक्त समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी। अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश जैसा वह उचित समझता है, पारित करेगा और जहाँ कोई शास्ति अधिरोपित की जाय वहाँ उसके कारण दिये जायेंगे। आदेश संबंधित सरकारी सेवक को संसूचित किया जायगा।

11—(1) इस नियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा पारित आदेश के सिवाय सरकारी सेवक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की अपील अगले उच्चतर प्राधिकारी को करने का हकदार होगा।

(2) अपील, अपील प्राधिकारी को सम्बोधित और प्रस्तुत की जायगी। यदि कोई सरकारी सेवक अपील करेगा तो वह उसे अपने नाम से प्रस्तुत करेगा। अपील में ऐसे समस्त ताल्लिक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी भरोसा करता हो।

(3) अपील में किसी असंयमित भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई अपील, जिसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाय, सरकारी तौर पर खारिज की जा सकेगा।

विनिर्दिष्ट कारणों से जांच नहीं करेगा

विनिर्दिष्ट कारणों से जांच नहीं करेगा

Minor Punishment

राज्य शास्ति
अधिरोपित कार्य के
लिए प्रक्रिया

अपील

Handwritten signature

आरोप-पत्र, उत्तम उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति, सूची और उनके कथन, यदि कोई हो, के साथ आरोपित सरकारी सेवक को या लिखित डोक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पत्र पर तामील उपर्युक्त रीति से आरोप-पत्र तामील न कराये जा सकने की दशा में आरोप-पत्र को परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जाएगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ दस्तावेजों साक्ष्य विशाल हो वहाँ इसकी प्रति आरोप-पत्र साथ प्रस्तुत करने के बजाय, आरोपित सरकारी सेवक को उसे जांच अधिकारी के समक्ष निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जायगी।

(छः) जहाँ आरोपित सरकारी सेवक उपस्थित होता है और आरोपों को स्वीकार करता है, वहाँ जांच अधिकारी ऐसी अभिलेखीकृत की आधार पर अपनी रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(सात) जहाँ आरोपित सरकारी सेवक आरोपों को इन्कार करता है, वहाँ जांच अधिकारी आरोप-पत्र में प्रस्तावित साक्ष्यों को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्ष्यों की प्रति परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलेखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलेखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलेखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था।

प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलेखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को दुर्तन्त्र से इन्कार कर सकेगा।

(आठ) जांच अधिकारी उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्ष्यों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अनुसार अपने संपक्ष किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिए बुला सकेगा या किसी व्यक्ति से दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(नौ) जांच अधिकारी सत्य का पता लगाने या आरोपों से सुनगत तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने की दृष्टि से किसी भी समय, किसी साक्षी से या आरोपित व्यक्ति से कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे, पूछ सकता है।

(दस) जहाँ आरोपित सरकारी सेवक नाइज में किसी निर्यात दिनांक पर या कार्यवाही के किसी भी स्तर पर उसे सूचना तामील किये जाने या दिनांक की जानकारी रखने के बावजूद उपस्थित नहीं होता है तो, जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच की कार्यवाही करेगा। ऐसे मामले में जांच अधिकारी, आरोपित सरकारी सेवक की अनुपस्थिति में, आरोप-पत्र में उल्लिखित साक्ष्यों के कथन को अभिलेखित करेगा।

(ग्यारह) अनुशासनिक प्राधिकारी यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता हो, आदेश द्वारा उसकी ओर से आरोप के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी सरकारी सेवक या विधि व्यवसायी को जिसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कह जायगा नियुक्त कर सकता है।

(बारह) सरकारी सेवक अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकता है किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधिक व्यवसायी की सेवा तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो, या अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा न दे दिया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:-

(एक) जहाँ किसी व्यक्ति पर कोई दीर्घ शास्ति ऐसे आचरण के आधार पर आरोपित की गई हो जो किसी आपराधिक आरोप पर उसे सिद्धोप्य ठहराए, या

14 22

5—इस नियमावली के अधीन यथास्थिति विभागीय जांच या आपराधिक मामले के आधार पर आदेश पारित हो जाने के पश्चात् संबंधित सरकारी सेवक के वेतन और भत्तों के बारे में विनिश्चय और उक्त अवधि को इयूटी पर बिताया गया माना जायेगा अथवा नहीं पर विचार करते हुए उक्त सरकारी सेवक को नोटिस देकर फाइनेशियल हैंड बुक, खण्ड दो, भाग-दो से चार के नियम-54 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नियमन अवधि में वेतन और भत्ते आदि

6—किसी सरकारी सेवक का नियुक्ति प्राधिकारी उसका अनुशासनिक प्राधिकारी होगा जो इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस पर नियम 3 में विनिर्दिष्ट शास्त्रियों में कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

यदि मामला प्राधिकारी

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो उसके अधीनस्थ हो जिसके द्वारा उसकी वास्तविक रूप में नियुक्ति की गयी थी, पदच्युत या हटाया नहीं जायेगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश श्रेणी-दो सेवा (लघु शास्त्रियों का आरोपण) नियमावली, 1973 के अधीन अधिसूचित विभागाध्यक्ष इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस नियमावली के नियम 3 में उल्लिखित लघु शास्त्रियां अधिरोपित करने के लिए सशक्त होगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा समूह "ग" और "घ" के पदों के किसी सरकारी सेवक के मामले में पदच्युति या सेवा से हटाये जाने के सिवाय किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने की शक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विहित कं जाय, प्रत्यापोजित कर सकता है।

7—किसी सरकारी सेवक पर कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व निम्नलिखित रीति से जांच की जायेगी:—

यदि आरोपित अधीनस्थ व्यक्ति के लिए प्राधिकारी

(एक) अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोपों की जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को आरोपों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(दो) अवचार के ऐसे तथ्यों को जिन पर कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप-पत्र आदि के रूप में स्वीकृति किया जायेगा जिसे आरोप-पत्र कहा जायेगा। आरोप-पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हों वहाँ आरोप-पत्र संबंधित विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।

(तीन) विरचित आरोप इतने संक्षिप्त और स्पष्ट होंगे जिससे आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध तथ्यों और परिस्थितियों के पूर्वापक उपदर्शन हो सके। आरोप-पत्र में प्रस्तावित दस्तावेजों साक्ष्यों और उसे सिद्ध करने के लिए प्रस्तावित गवाहों के नाम मौखिक साक्ष्यों के साथ, यदि कोई हो, आरोप-पत्र में उल्लिखित किये जायेंगे।

(चार) आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को जो आरोप-पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिन से कम नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करे और यह कथन करे कि आरोप-पत्र में उल्लिखित किसी साक्षी का प्रश्नपरीक्षा करना चाहता है और क्या वह अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता है। उसको यह भी सूचित किया जायेगा कि विनिर्दिष्ट दिनांक को उसके उपस्थित न होने या लिखित कथन दाखिल न करने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है और जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच पूरी करने की कार्यवाही करेगा।

He He

(5) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने जाने की शक्ति को इस नियमावली या इस नियमावली द्वारा विजडित नियमावली के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास्त कर दिया जाय और मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिए किसी अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाय वहां—

(क) यदि वह शक्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को, उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अधधीन रहते हुए, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से, निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायगा;

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था, तो यदि उसे अपील या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्देशित किया जाय, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश को और से नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपनियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह ऐसे मामले में जहां किसी सरकारी सेवक पर पदच्युति या सेवा से हटाने जाने की अधिरोपित शक्ति को इस नियमावली के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, उन अभिकथनों के, जिन पर शक्ति अधिरोपित की गयी थी, गुणों से भिन्न आधार पर अपास्त कर दिया गया हो, किन्तु मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिए या किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया गया हो, उन अभिकथनों पर उसके विरुद्ध अग्रतर जांच सम्बन्धित रहते हुए निम्नलिखित आदेश, इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, पारित करने की अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति को प्रभावित करना है।

(6) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शक्ति को किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय या परिणामस्वरूप अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या शून्य कर दिया जाय और नियुक्ति प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, उसके विरुद्ध उन अभिकथनों, जिन पर पदच्युति या हटाने की शक्ति मूलरूप में आरोपित की गई थी, अग्रतर जांच करने का विनिश्चय करता हो चाहे वे अभिकथन अपने मूल में रहे या उन्हें स्पष्ट कर दिया जाय या उनके विवरणों को और अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाय या उनके किसी छोटे भाग का लोप कर दिया जाय, वहां

(क) यदि वह शक्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निर्देश के अधधीन रहते हुए पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था तो उसे यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्देशित किया जाय, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा निलम्बन के अधधीन रखा गया समझा जायगा।

(7) जहां कोई सरकारी सेवक (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संकट में या अन्यथा) निलम्बित कर दिया जाय या निलम्बित किया गया समझा जाय और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलम्बन के दौरान उसके विरुद्ध प्रारम्भ कर दी जाय, वहां निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह निर्देश दे सकेगा कि सरकारी सेवक अब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक ऐसी समस्त या कोई कार्यवाही सम्पन्न न कर दी जाय।

(8) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रचल बना हुआ कोई निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उपांतरित या प्रतिस्थापित न कर दिया जाय।

(9) इस नियम के अधीन निलम्बन के अधधीन या निलम्बन के अधधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक फाइनेशियल हेण्ड बुक, कुछ दो भाग दो से चार के फंडामेन्टल स्ल 53 के उपबन्धों के अनुसार उपादान भत्ता पाने का हकदार होगा।

Handwritten signature and initials

(तीन) सेवा में परीक्षा पर नियुक्ति किसी व्यक्ति का परीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति का नियुक्ति के निबंधन या ऐसी परीक्षा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार सेवा में प्रतिवर्तन,

(चार) परीक्षा पर नियुक्ति किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर सेवा के निबंधन या ऐसी परीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, सेवा का पर्यवस्यन,

4—(1) कोई सरकारी सेवक जिसके आचरण के विरुद्ध कोई जांच अनुध्यात है या उसकी कार्यवाही चल रही है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर जांच की समाप्ति के लिये तब तक, निलम्बन के अधीन रखा जा सकेगा:

निलम्बन

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि सरकारी सेवक के विरुद्ध अभिकथन इतने गम्भीर न हों कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में सामान्यतः दीर्घ शासित का समुचित आधार हो सकेता हो

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्यपाल द्वारा इस निमित्त जारी आदेश द्वारा शक्ति सम्बन्धित विभागाध्यक्ष समूह 'क' और 'ख' पदों के सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग को इस नियम के अधीन निलम्बित कर सकेगा:

परन्तु यह और भी कि समूह 'ग' और 'घ' पदों के किसी सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी अपने शक्ति इस नियम के अधीन अपने निम्नतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(2) कोई सरकारी सेवक, जिसके संबंध में या जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक आरोप से संबंधित कोई अन्वेषण, जांच या विचारण, जो सरकारी सेवक के रूप में उसकी स्थिति से संबन्धित है या जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने में संकट उत्पन्न होने की सम्भावना है या जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्गत है, लम्बित हो, नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे इस नियमावली के अधीन निलम्बित करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो उसके विवेक पर तब तक निलम्बित रखा जा सकेगा जब तक कि उस आरोप से संबंधित समस्त कार्यवाहियां समाप्त न हो जायें।

(3) (क) कोई सरकारी सेवक यदि वह अठ्ठातीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो चाहे निरोध आपराधिक आरोप पर या अन्यथा किया गया हो निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निरोध के दिनांक से यथास्थिति निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायगा।

(ख) उपर्युक्त सरकारी सेवक अभिरक्षा से निर्मुक्त किये जाने के पश्चात् अपने निरोध के बारे में सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा और समझे गये निलम्बन के विरुद्ध अभ्यावेदन भी कर सकेगा। सक्षम प्राधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इस नियम में दिये गये उपबन्धों के प्रकाश में अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् अभिरक्षा से निर्मुक्त होने के दिनांक से समझे गये निलम्बन को जारी रखने या उसका प्रतिसंहरण या उत्तराग करने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा।

(4) कोई सरकारी सेवक उसके सिद्धदोष ठहराये जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये जाने के कारण उसे अठ्ठातीस घण्टे से अधिक अवधि के कारावास की सजा दी गई है और उसे ऐसे सिद्धदोष के फलस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नहीं गया है, तो इस नियमावली के अधीन निलम्बन के लिए सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से, यथास्थिति, निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम में निर्दिष्ट अठ्ठातीस घण्टे की अवधि की गणना सिद्धदोष ठहराये जाने के पश्चात् और इस प्रयोजन के लिए कारावास की आन्तरात्मिक कालावधियों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखा जायेगा।

H J